

संख्या/No.

18-1/2023-24/प०वा०/स्टूडियो (dubbing)



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

CENTRAL HINDI DIRECTORATE

शिक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF EDUCATION

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्, WEST BLOCK-VII, RAMA KRISHNA PURAM

नई दिल्ली / NEW DELHI-110066

दिनांक / DATED : 03.04.2023

तार : राजभाषा

Tele : Rajbhasha

फोन / Phone : 26178454, 26105211

26105213, 26105214, 26105243

26105312

फैक्स / Fax : 26100758, 26102575

www.chd.mhrd.gov.in

www.chdpublication.mhrd.gov.in

विषय - 'हिंदी थ्रू कैसेट योजना' के अंतर्गत निर्मित वृत्तचित्रों / वीडियो कार्यक्रमों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में भाषांतरित (dubbing) कराने हेतु खुली निविदा आमंत्रण।

वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024 - 25 एवं 2025 - 26

(Invitation of Open tender for language dubbing of documentaries / video programs produced under 'Hindi Through Cassettes Scheme') in various Indian languages.

Financial Year 2023-24, 2024 - 25 & 2025 - 26

केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु अनेक योजनाओं को मूर्त रूप देता रहा है। भाषा संवर्धन के अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में निदेशालय द्वारा अनेक वृत्तचित्रों / वीडियो कार्यक्रमों/ का निर्माण किया जाता रहा है। उल्लेखनीय है कि यह फिल्म किसी श्रेष्ठ टेलीफिल्म की तरह मनोरंजन एवं कलात्मक पक्षों को समेटे हुए निदेशालय के उद्देश्यों के अनुरूप विशुद्ध रूप से शिक्षाप्रद होती है तथा इसके प्रत्येक खंड की अवधि लगभग 30 मिनट होती है। इसी क्रम में 'हिंदी थ्रू कैसेट्स योजना के अंतर्गत निर्मित वृत्तचित्रों / वीडियो कार्यक्रमों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में भाषांतरित (dubbing) कराने हेतु डी.ए.वी.पी., सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के नवीनतम वैध पैनल (Latest Valid Panel) में सूचीबद्ध दिल्ली/नई दिल्ली स्थित उन फर्मों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जा रही है जो उक्त भौगोलिक परिसीमा (Geographical Jurisdiction) के अंतर्गत वृत्तचित्रों / वीडियो कार्यक्रमों को भाषांतरित करने का कार्य करते हों।

निविदा के लिए निर्धारित नियम व शर्तें तथा प्रपत्र इसके पत्र के साथ संलग्न हैं। उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय में निविदा प्राप्ति कि अंतिम तिथि 22/05/2023 अपराह्न 1:00 बजे तक है।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीया

(मधु संदलेश)

उपनिदेशक एवं प्रभारी
पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
नई दिल्ली

Rakhi
03/04/23

मि. सं. 18-1/2023-24/पा. पा. / स्टूडियो (dubbing)

हिंदी थ्रू कैसेट्स योजना के अंतर्गत निर्मित वीडियो कार्यक्रमों / वृत्तचित्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में भाषांतरित (dubbing) कराने हेतु खुली निविदा आमंत्रण

खुली निविदा के लिए निर्धारित शर्तें 2023-2024, 2024-2025 एवं 2025-2026

• सामान्य

1. हिंदी थ्रू कैसेट्स योजना के अंतर्गत निर्मित वीडियो कार्यक्रमों / वृत्तचित्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में भाषांतरित (dubbing) कराने हेतु डी.ए.वी.पी., सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के नवीनतम वैध पैनल (Latest Valid Panel) में सूचीबद्ध दिल्ली / नई दिल्ली स्थित उन फ़र्मों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं जो उक्त भौगोलिक परिसीमा (Geographical Jurisdiction) के अंतर्गत निर्मित वीडियो कार्यक्रमों / वृत्तचित्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में भाषांतरित (dubbing) कराने का कार्य करते हों। इस संदर्भ में डी. ए. वी. पी. का नवीनतम पैनल प्रमाण - पत्र (Latest Valid Empanelment Certificate) ही संलग्न करें।
2. लिफाफे पर 'हिंदी थ्रू कैसेट्स योजना के अंतर्गत निर्मित वीडियो कार्यक्रमों / वृत्तचित्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में भाषांतरित (dubbing) करने हेतु मुहरबंद निविदा' अंकित होना चाहिए। यह निविदा डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से श्रीमती मधु संदलेश, उप निदेशक एवं प्रभारी, प. पा. विभाग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खंड-7, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 के पास दिनांक 22/05 /2023 को अपराह्न 1:00 तक पहुँच जानी चाहिए। निविदा उसी तिथि को अपराह्न 3 बजे खोली जाएगी।
3. निविदा के आधार पर निर्मित पैनल तीन वर्षों 2023-2024, 2024-2025 एवं 2025-2026 के लिए मान्य होगा, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि निदेशालय अपेक्षानुसार तीन वर्षों तक उसी फ़र्म को कार्य आबंटित करने के लिए बाध्य है। प्रति वित्तीय वर्ष कार्य के आबंटन फ़र्म / फ़र्मों के द्वारा किए गए कार्य के आधार पर ही किए जाएंगे।
4. कार्य को योजना अनुसार एवं समय पर संपन्न करने हेतु निदेशालय एक से अधिक फ़र्मों को भी कार्य आबंटित करने को स्वतंत्र है।
5. जिस फ़र्म की निविदा स्वीकृत की जाएगी, उसे कार्य आबंटन की राशि का 10 प्रतिशत बतौर धरोहर राशि निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खंड-7, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / एक वाणिज्यिक बैंक से सावधि जमा रसीद के रूप में प्रस्तुत करना होगा। कृपया नोट करें कि कार्य समाप्ति के पश्चात दो महीने के बाद ही उक्त धरोहर राशि वापस की जाएगी।

6. चयनित फ़र्म को भाषांतरण (dubbing) से संबंधित सभी कार्यादि दिल्ली में कार्य दिवसों में संपन्न करने होंगे। अतः वही फ़र्म आवेदन करे जो इस प्रकार से कार्य संपादित करने को इच्छुक हो।
7. पूर्व निर्मित वृत्तचित्र (अवधि 30 - 35 मिनट) को विभिन्न भारतीय भाषाओं में भाषांतरित करने हेतु समय - सीमा छः महीने निर्धारित की गई है। अतः केवल वही फ़र्म आवेदन करे जो इस निर्धारित समय - सीमा के अंतर्गत कार्य संपन्न कर मद संख्या 11 में बताई गई सामग्री निदेशालय को सौंपने को इच्छुक हो।
8. निविदाएँ निर्दिष्ट समय पर इच्छुक निविदा दाताओं की उपस्थिति में खोली जाएँगी।
9. निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पास बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। सबसे कम दरों वाली निविदा को मान्यता (स्वीकृति) दी जाएगी, यह बाध्यता नहीं है।
10. निविदा में दर का उल्लेख कृपया निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ही करें।
11. कार्य समाप्ति के पश्चात फ़र्म द्वारा प्रति 30 मिनट की अवधि के कार्यक्रम के लिए निदेशालय को निम्नलिखित सामग्री सौंपनी होगी :-
 - (i) Hard Disk-One in number(containing all sessions/project files)
 - (ii) Hard Disk (Mixed masters of the product) - One in number
 - (iii) Hard Disk (UnMixed) - One in number
 - (iv) All versions of video content including final product must include CHD logo at the end and the duration of the logo may be kept up to 3seconds.
 - (v) Master Pen Drive of each programme in HD format
 - (vi) Replicated Pendrive - 10 of each programme

• वित्तीय

12. निर्मित वृत्तचित्र / वीडियो कार्यक्रम की अवधि प्रायः 30 - 35 मिनट होती है, अतः इस आधार पर ही कृपया अपनी निविदा में दरों का उल्लेख करें।
13. निविदा में उल्लिखित दर सभी करों सहित (Inclusive of all Taxes) होगी। अतः इस संदर्भ में फ़र्म द्वारा अलग से किसी भी प्रकार के कर की मांग कदापि स्वीकार्य नहीं होगी।
14. निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सभी निर्णय / आदेश अंतिम, सभी के लिए मान्य एवं बाध्यकारी होंगे।

प्रोपराइटर के हस्ताक्षर फ़र्म की मोहर सहित



निविदा के लिए निर्धारित प्रपत्र
वित्तीय वर्ष 2023-2024

हिंदी श्रू कैसेट्स योजना के अंतर्गत निर्मित वृत्तचित्रों / वीडियो कार्यक्रमों को विभिन्न भारतीय भाषाओं भाषांतरित (dubbing) कराने हेतु खुली निविदा आमंत्रण

क्र. सं.
(रुपयों में)

विवरण

उल्लिखित खर्च

अवधि 30 - 35 मिनट
निविदा की दर सभी करों सहित

निर्मित प्रति वृत्तचित्र / वीडियो कार्यक्रम को विभिन्न भारतीय भाषाओं में भाषांतरित करने का व्यय (निविदा की दर में स्क्रिप्ट भाषांतरण व्यय - प्रति भाषा, डबिंग कलाकार व्यय, ऑडियो स्टूडियो व्यय, संबंधित भाषा विशेषज्ञ व्यय, बाइट सबटाइटल शामिल हैं। इस दर में अंतिम मिश्रण (ऑडियो-वीडियो), भाषांतरण के लिए हार्ड डिस्क मास्टर, प्रत्येक वृत्तचित्र / वीडियो कार्यक्रम के लिए एच डी फॉर्मेट में पेन ड्राइव मास्टर, मास्टर पेन ड्राइव की प्रतिकृति पेन ड्राइव (10 पेन ड्राइव) भी शामिल है।

प्रोपराइटर के हस्ताक्षर फ़र्म की मुहर सहित

- कृपया नोट करें की उक्त दर सभी करों सहित (Inclusive of all taxes) होगी। कृपया निविदा हमारे निर्धारित प्रपत्र के आधार पर ही दें। अन्य किसी प्रकार के प्रपत्र पर निविदा / निविदा की दर अस्वीकृत मानी जाएगी।
- प्रपत्र के साथ डीएवीपी का नवीनतम वैध, पैनल संबंधी प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करें।
- निदेशालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर फ़र्म द्वारा हस्ताक्षरित प्रति भी अपेक्षित है।

Invitation of open tender for language dubbing of documentary / video program produced under 'Hindi through cassettes scheme' in various Indian languages.

Terms and Conditions set for open tender in the years 2023-24, 2024-25 and 2025-26.

General

Under the scheme of 'Hindi through cassettes' sealed tenders are being invited from those firms based in Delhi/ New Delhi listed in the latest valid panel of DAVP, Ministry of Information & Broadcasting, Govt. of India for language dubbing of documentary / video program produced under 'Hindi through cassettes scheme' in various Indian languages within the above geographical limits. In this context, only the latest valid panel certificate of DAVP should be attached.

2. **Sealed tender for language dubbing of documentary / video program produced under 'Hindi through cassettes scheme' in various Indian languages** should be mentioned on the envelope. This tender may be sent by post or in person to Smt. Madhu Sandlesh, Deputy Director and bureau head, Department of Correspondence Courses, Central Hindi Directorate, West Block-7, R.K.Puram, New Delhi-110066. By 1.00 pm on the date 22/05 / 2023. Tender will be opened at 3.00 pm.

3. The panel prepared on the basis of tender will be valid for the three years 2023-24, 2024-25 & 2025-26, but it does not mean that the Directorate is bound to allot work to the same firm for three years as expected. Allocation of work per financial years will be done only on the basis of work done by the firm/firms.

4. To complete the work according to the plan and on time, the Directorate is free to allot the work to more than one firm.

5. The firm whose tender will be accepted will produce 10 percent of the work allotment as security money to the Director, Central Hindi Directorate, West Block-7, R.K. Puram, New Delhi-110066 in the form of Demand Draft / Fixed Deposit Receipt from a commercial bank. Please note that the said security money will be returned only after two months after the completion of the work.

6. The selected firm will have to complete all the dubbing work etc, in the working days in Delhi. Therefore, only those firms should apply who are willing to do the work in this way.

7. The maximum time limit for completion of dubbing of documentary / program of 30 - 35 minutes duration has been set as six months. Therefore, only those firms should apply who are willing to complete the work within the prescribed time limit and hand over the material mentioned in item no.13 to the Directorate.

8. The tenders will be opened at the specified time in the presence of the intending tenderers.

9. The Director, Central Hindi Directorate reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason. The lowest tender will be accepted, it is not binding.

10. Please mention the rates in the tender as per the prescribed format only.

11. After the completion of the work, the firm has to hand over following materials to the Directorate for the program of every 30 - 35 minutes duration :-

- (i) Hard Disk-One in number (containing all sessions / project files)
- (ii) Hard Disk (Mixed masters of the product)- One in number
- (iii) Hard Disk (Unmixed)- One in number
- (iv) All versions of video content including final product must include CHD logo at the end and the duration of the logo may be kept up to 3seconds.
- (v) Master Pen Drive of each programme in HD format
- (vi) Replicated Pendrive – 10 of each programme

Financial

12. The duration of the documentary / video program produced is usually 30 – 35 minutes, so please quote the rates on this basis only in your tender.

13. The rates quoted in the tender will be inclusive of all taxes. Therefore, in this context, the demand of any kind of tax separately by the firm will never be acceptable.

14. **All the decisions / orders of Director, Central Hindi Directorate will be final, valid and binding on all.**

Signature and seal of the Proprietor



Prescribed form for tender

Prescribed form for open tender for dubbing of produced documentary / video program under 'Hindi through Cassettes scheme'
Financial year 2023-24

Sr.No. Discription

mentioned expenses (in rupees)

Duration 30 – 35 minutes
Price quoted inclusive of all taxes

Language dubbing of documentary / video program (quote includes - Script translation, dubbing artist fee, audio studio charges, concern language expert charges. Further more this quote includes the supply of final mix (audio-video), hard disc master for language dubbing, Pen drive master -01 in hd format, replicated pend drive -10)

Signature and seal of the Proprietor

- Please note that the above rate will be inclusive of all taxes. Please give the tender only on the basis of our prescribed form. Tender / tender rates on any other type of form will be considered as rejected.
- Must attach the latest valid empanelment certificate of DAVP along with the form.
- A copy signed by the firm is also required on the conditions prescribed by the Central Hindi Directorate.

